369

Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर ~~कैम्प भोपाल म.प्र.~~

प्र. क्रं. /15-16 निगरानी नवीन प्र. /2252/2015

निगरानी 2252-I-15

दीपक पहणीस पुत्र स्व. नारायण राव पहणीस आयु 63 वर्ष धंधा कृषि वकालत जाति दक्षिणी ब्राहमण कृषक गुलाबगंज तहसील व जिला विदिशा हाल मुकाम अंदर किला बालाजी मंदिर के पास विदिशा म.प्र. ----निगरानीकर्ता

श्री दीपक -चतुर्वेदी अभि.
15.7.15

15-7-15

बनाम

1- रतिराम पुत्र नारायण सिंह रघुवंशी उम्र 59 वर्ष धंधा कृषि निवासी ग्राम ऐरन तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा म.प्र.

2- मध्यप्रदेश शासन -----अनावेदकगण

8
15/7/15

निगरानी याचिका अंतर्गत 50 म.प्र.भू.रा.संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 18-6-2015 न्यायालय तहसीलदार गुलाबगंज द्वारा प्रकरण क्रमांक 68/अ6अ/14-15 रतिराम बनाम म.प्र. शासन ।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी याचिका माननीय न्यायालय में सविनय निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

यह कि संक्षिप्त में इस निगरानी याचिका का विवरण इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 115, 116, 168, 169, 110, म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 के अंतर्गत अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुलाबगंज के न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया की प्रतिप्रार्थी × आवेदक ग्राम ऐरन तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा का निवासी होकर ग्राम ऐरन एवं गुलाबगंज का कृषक है । प्रतिप्रार्थी आवेदक द्वारा आराजी नंबर 4 मिन रकबा 3.638 हेक्टे. आ.नं.31 रकबा 1.045 हे. एवं आ.नं.33/2 रकबा 0.930 हे. कुल किता 3 कुल रकबा 5.613 हे. स्थित ग्राम गुलाबगंज के खातेदार भास्करराव पुत्र कृष्णराव

XXIX(a)-BR(H)-11

369

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2252-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	